



पत्रांक ६४५ /०६ ट्यूक-२०२०

देहरादून, दिनांक १७ फरवरी, २०२०

कार्यालय ज्ञाप :

फील्ड स्तर पर हो रहे निर्माण कार्यों/समस्याओं आदि के सम्बन्ध में जनता एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ताओं से दूरभाष पर सम्पर्क करने का प्रयास किया जाता है, परन्तु फोन रिसीव न किये जाने की शिकायत अधोहस्ताक्षरी से की जाती है तथा रोष व्यक्त किया जाता है। यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक एवं शासकीय सेवक होने के कारण आपत्तिजनक भी है। राज्य स्तर पर जनता एवं जनप्रतिनिधियों के शिकायत हेतु सी०ए० हैल्पलाइन का सृजन भी किया गया है। अतः आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि जनता एवं जनप्रतिनिधियों के शिकायतों का निराकरण हेतु राज्य सरकार भी जागरूक है।

अतः निर्दिष्ट किया जाता है कि जनता एवं जनप्रतिनिधियों के जो भी फोन आपको किये जाते हों उन्हें अवश्य रिसीव कर उसका समाधान/स्थिति स्पष्ट की जाय। यदि आप तत्समय किसी डैठुक/अन्यज्ञ गहन्यपूर्ण कार्यों वर्त हो तो नदेरात्त रद्यं कॉल-डैक सम्बन्धित को कर लिया करें। यदि भविष्य में जनता एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा अधोहस्ताक्षरी को फोन आते हैं कि अमुक अधिकारी द्वारा फोन रिसीव नहीं किया गया है तो उसे गम्भीरता से लेते हुए सम्बन्धित अधिकारी के पक्ष में नकारात्मक (Negative) रूप से लिया जायेगा।

अतः उक्त आदेशों का अनुपालन प्रभावी रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाय। अन्यथा सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध प्रतिकूल कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा, जिस हेतु वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।

६०-

(हरिओम शर्मा)
प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. मुख्य अभियन्ता स्तर-। (नियोजन/मुख्यालय), विभागाध्यक्ष कार्यालय।
२. समस्त मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
३. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
४. समस्त अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
५. वैयक्तिक सहायक, प्रमुख अभियन्ता।

अधीक्षण अभियन्ता (आई०टी०) विभागाध्यक्ष कार्यवाही
लोक निर्माण विभाग द्वारा लिये गये साक्षरता पर
आपडें करने हेतु।

20/2/2020
प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
५११